जेल के अंदर की पोलपट्टी खोलने वाला प्रहरी सस्पेंड

नवभारत न्यूज
ग्वालियर, 10अप्रैल। जेल के भीतर की पोलपट्टी - खोलने वाले प्रहरी को सस्पेंड कर दिया गया है। उक्त कार्रवाई से जेल अधीक्षक की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। वहीं प्रबंधन द्वारा जेल में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का कोई प्रयास नहीं किया जाना भी चर्चा में बना हुआ है।

बता दें कि जेल प्रहरी पवन शर्मा ने विगत दिनों सजा काटकर आए बंद के साथ मिलकर एक वीडियो वायरल किया था, जिसमें उसने बताया था, कि जेल में केवल पैसों का खेल चल रहा है। जिस बंदी के घर से मुंहमांगा पैसा आ जाता है, उसके लिए वीआईपी

अधीक्षक की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान

व्यवस्था करवाई जाती है। जहां तक कि नशा और कॉलगर्ल तक का इंतजाम भी हो जाता है। वहीं जिस नई आमद का पैसा नहीं आ पाता, उसे इस कदर प्रताड़ित किया जाता है, कि वह पैसा मंगवाने के लिए मजबूर हो जाए। प्रहरी द्वारा लगाए गए आरोप में कितनी सच्चाई है, यह तो जांच का विषय है, किंतु इस गंभीर मुद्दे को लेकर जेल प्रबंधन जिस तरह से चुप्पी साधे बैठा है, उससे पूरा मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है।

पैसा आने पर कूलर के आगे जगह

प्रहरी द्वारा आरोप लगाया गया है कि भीतर तैनात डिप्टी जेलर नीरज यादव द्वारा अधीक्षक की शह पर जमकर वसूली की जा रही है। जिस बंदी को उसके पास पैसा आ जाता है, उसे कूलर के आगे जगह दे दी जाती है। वहीं जिस नई आमद का पैसा नहीं पहुंचता है, उसे पुराने बंदियों से पिटवाया जाता है।

संदिग्ध जेलर अब भी वहीं तैनात

इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है, कि प्रहरी पवन शर्मा ने वीडियो वायरल कर जिस जेलर नीरज यादव पर वसूले के गंभीर आरोप लगाए हैं, वह अब भी उसी स्थान पर तैनात है। जबकि जेल अधीक्षक द्वारा आरोप लगाने वाले प्रहरी को आनन फानन में सस्पेंड कर दिया गया है। ऐसे में सवाल यह है कि जिस जेलर पर आरोप लगे हैं, यदि वह वहीं पोस्टेड रहते हुए ड्यूटी करेगा, तो मामले की निष्पक्ष जांच कैसे हो सकेगी, आरोपी स्वयं वहां मौजूद रहने पर जाहिर है, कि वह साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर उन्हें मिटाने का प्रयास करते हुए जांच प्रभावित करेगा।

आरोप लगाने वाले को दे रहे नशेड़ी करार

प्रहरी पवन शर्मा ने जिस तरह के संगीन आरोप लगाए हैं, उससे जेल में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं अब जेल अधीक्षक व खास सिपहसालारों में शामिल स्टॉफकर्मी आरोप लगाने वाले जेल प्रहरी को नशेड़ी करार देने पर तुले हुए हैं। बहरहाल भले ही वह नशेड़ी हो, किंतु उसके द्वारा लगाए गए आरोपों की निष्पक्षता से जांच होना अनिवार्य है। क्योंकि इससे पहले भी समय-समय पर जेल के भीतर अवैध वसूली व प्रताड़ना के आरोप लगते रहे हैं।

इनका कहना है..

जो प्रहरी अनर्गल आरोप लगा रहा है, वह खुद नशे का आदी है, जो पूर्व में कई बार निलंबित हो चुका है। फिलहाल नीरज यादव पहले से तैनात जगह पर ही पोस्टेड हैं। मामले की जांच करवाई जा रही है।

विदित सरवाईया
अधीक्षक, सेंट्रल जेल

वार्ड 52 में यह सड़क विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम : मंत्री कुशवाह

नवभारत न्यूज
ग्वालियर, 10अप्रैल। शुक्रवार को ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 52 में विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया। क्षेत्रीय विधायक कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाह, वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल चौधरी के आतिथ्य में कायाकल्प योजना के तहत गुढ़ा-गुढ़ी का नाका स्थित नादरिया माता मंदिर से पिपरी गुढ़ा तक 1 करोड़ 84 लाख की लागत से एवं फौजी कॉलोनी की विभिन्न गलियों में 12 लाख 67 हजार रुपये की लागत से सी.सी. रोड निर्माण कार्य, शा. प्रा. वि. गुढ़ा एवं शा.मा.वि. गुढ़ा में मरम्मत कार्य का भूमि पूजन क्षेत्र की कन्याओं के शुभ हाथों से संपन्न हुआ। श्री कुशवाह ने उपस्थित वार्डवासियों को संबोधित करते हुए कहा सड़क निर्माण कार्य न केवल क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाएगा, बल्कि स्थानीय विकास को भी नई गति प्रदान करेगा। इस महत्वपूर्ण विकास कार्य के शुभारंभ पर आप समस्त क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भाजपा नेता शुभम चौधरी ने आभार प्रकट करते हुए कहा धन्यवाद आदरणीय मंत्री नारायण सिंह कुशवाह जी, वार्ड 52 के नादरिया माता मंदिर से पिपरी गुढ़ा तक प्रमुख मार्ग की रोड सहित अन्य निर्माण कराने के लिए। इससे पहले इसी मार्ग पर आपके द्वारा सीवर लाईन भी डलबाई गई थी जिससे स्थानीय निवासियों को काफी राहत मिली। गुणवत्ता पूर्ण रोड डलने के बाद निश्चित ही आपके नेतृत्व में क्षेत्र विकास के नए आयाम छुएगा। ऐसी मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है।कार्यक्रम के दौरान रोड निर्माण कार्य कराने के लिए स्थानीय निवासियों ने मंत्री नारायण सिंह कुशवाह का सैकड़ों पुष्प मालाओं से धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाह, वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल चौधरी, पार्षद संध्या सोनू कुशवाह, मोहन सिंह, मनोज भार्गव, सुघर सिंह पवैया, गोपाल जाटव, सुनील भदौरिया, आशीष शर्मा, गीता भदौरिया, सतीश जैन, विनोद कुशवाह, शुभम चौधरी, अंकित कुलश्रेष्ठ, सुनीता किरार, ममता आर्य , सुमन चौरसिया, रमा चौबे, रानी गौड़, रवि भदौरिया सहित स्थानीय नागरिक तथा जनप्रतिनिधिगण एवं संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

कमिश्नर को फोन कर तत्काल प्रभाव से जेडो को निलंबित कराया

मौके पर संबंधित क्षेत्र क्रमांक 21 के जेडो सौरभ शाक्य को भूमि पूजन कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने, क्षेत्र से आ रही जेडो की शिकायत, विकास कार्यों के प्रति उदासीनता के चलते ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर संघ प्रिय को मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने फोन कर तत्काल प्रभाव से जेडो को निलंबित कराया।

कसी भी कार्यक्रम के बाद सफाई अनिवार्य, जिला अध्यक्ष ने खुद उठाई झाडू

ग्वालियर 10 अप्रेल। शहर में आयोजित होने वाले किसी भी कार्यक्रम के बाद स्वच्छता सुनिश्चित करने को लेकर शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुरेंद्र यादव द्वारा महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। शहर में कांग्रेस के किसी भी संगठन, किसी भी स्तर पर आयोजित कार्यक्रम के बाद आयोजकों द्वारा सफाई सुनिश्चित की जाए। कांग्रेस का उद्देश्य जनता की सेवा करना है, उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा देना नहीं।' इसी उद्देश्य को व्यवहार में उतारते हुए एक प्रेरणादायक उदाहरण 9 अप्रैल को देखने को मिला, जब एनएसयूआई के स्थापना दिवस पर आयोजित रन फोर ड्रग फ्री म.प्र. मैराथन के समापन के बाद कार्यक्रम स्थल पर फैली गंदगी को स्वयं नेतृत्व ने साफ किया।

एडवोकेट कृष्णकांत ने थामा कांग्रेस का हाथ

ग्वालियर 10 अप्रेल। विद्युत विभाग से सेवानिवृत्त विधि अधिकारी कृष्णकांत शर्मा एड. ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेन्द्र यादव ने उन्हें कांग्रेस का दुपट्टा पहनाकर विधिवत सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेन्द्र यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक न्याय की सबसे मजबूत आवाज है। कृष्णकांत शर्मा जैसे अनुभवी और सिद्धांतवादी व्यक्तित्व के जुड़ने से संगठन को नई मजबूती मिलेगी और जनहित के मुद्दों को और प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा। एड. शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा हमेशा आमजन, न्याय और संविधान की रक्षा के लिए समर्पित रही है।

संगठन की मजबूती ही कांग्रेस की जीत की गारंटी

ग्वालियर 10 अप्रेल। वार्ड क्र. 13 व 9 में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेन्द्र यादव के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सुनील शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष मुनेन्द्र भदोरिया एवं धर्मवीर राठौर विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक के दौरान वार्ड कमेटी का विधिवत गठन किया गया, जिसमें ब्लॉक एवं वार्ड स्तर के समस्त मंडलम अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष एवं कांग्रेस पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया।

In The Court Of III Additional District and Session Judge, Ambah District Court, Morena

Presiding Officer : धीरेन्द्र सिंह मण्डलोई
आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत प्रकाशन हेतु
(RCA/0000005/2021)
रामलखन सिंह..........वादी
Vs
मलखान सिंह.......प्रतिवादी
Process id-/2026
पेशी दिनांक:- 12/05/2026

प्रेषिती- (1) तहसीलदार सिंह पिता हीरा सिंह पता-निवासी पोरसा, जिला मुरैना (म.प्र.) (2) भूरे सिंह पिता भगवान सिंह पता-निवासी पोरसा जिला मुरैना (म.प्र.)

यहकि, प्रार्थी **रामलखन सिंह** ने आपके विरुद्ध धारा 96 प्रक्रिया संहिता के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हों और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें, जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक है तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें।

यह आज तारीख **02 April 2026** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।

सील

न्यायाधीश
(धीरेन्द्र सिंह मण्डलोई)
तृतीय जिला न्यायाधीश अंबाह,
जिला मुरैना (म.प्र.)

कृपया ध्यान दें:- 1. यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जाएगा।

ननि ने मोहन सिंह की जान लेने वाले सांड को पकड़ा

100 किलोमीटर दूर से आकर ग्रामीण, शहर में छोड़ रहे गाय-सांड

नवभारत न्यूज
ग्वालियर, 10अप्रैल। नगर निगम की आदर्श गौशाला में शहर से पकड़ी गई 10 हजार से ज्यादा गाय व सांड होने के बाद भी शहर में गायों की संख्या कम नहीं हो रही है। इसका कारण है कि झांसी, मुरैना, भिण्ड सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों से गायों को शहर में लाकर छोड़ा जा रहा है। शहर में खुलेआम घूम रहे सांड आमजनों को मार रहे हैं। पांच दिन पहले सांड के द्वारा उठाकर पटक दिए जाने से मोहन सिंह कुशवाह की मौत हो गई थी। नगर निगम के मदाखलत अमला पांच दिन बाद साड़ को पकड़ पाया है। पकड़े गए सांड को गौशाला भेज दिया गया है। आदर्श गौशाला में 10 हजार से ज्यादा गाय हैं, जिसके कारण उसमें और अधिक गायों को रखने की जगह नहीं बची है, ऐसे में शहर के अंदर लगातार आवारा गायों की संख्या बढ़ रही है। शहर में झांसी से लेकर भिण्ड, मुरैना, बेहट सहित आसपास के गांवों से ग्रामीण झुंड में लाकर गायों को शहर में छोड़ रहे हैं। जिसके कारण शहर में दिनों-दिन आवारा गायों की संख्या बढ़ रही है। खाने की तलाश में आवारा गाय कचरे ठीयों एवं मोहल्लों में झुंड में खड़ी रहती हैं। कई बार यह आम लोगों पर हमला कर देती हैं, जिससे कई लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है।

शहर में आने वाली गायों को रोकने का प्लान नहीं

झांसी के आसपास के ग्रामीण गायों को दतिया जिले में छोड़ जाते हैं, दतिया के ग्रामीण इन्हें हांककर डबरा तक ले आते हैं, डबरा के किसान इन गायों को ग्वालियर ले आते हैं। वहीं भिण्ड मुरैना के ग्रामीण भी ग्वालियर में लाकर गायों को छोड़ जाते हैं। शहर में आने वाली आवारा गायों को रोकने की नगर निगम एवं जिला प्रशासन के पास कोई योजना नहीं है।

इनका कहना है..

मोहन सिंह कुशवाह को पटककर मारने वाले सांड को पकड़ लिया गया है, ग्वालियर में ग्रामीण इलाकों से गायों को लाकर शहर में छोड़ दिया जा रहा है।

केशव सिंह चौहान,
मदाखलत प्रभारी
नगर निगम

नए अध्यक्ष शर्मा को पगड़ी पहनकर गदा भेंट किया

जेयू के नवागत कार्यपरिषद सदस्य ने संभाला पदभार, कर्मचारियों व विद्यार्थियों के हित में काम करने का दिया भरोसा

नवभारत न्यूज
ग्वालियर, 10 अप्रैल। जीवाजी विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद के नवागत सदस्य प्रदीप कुमार शर्मा ने शुक्रवार को विधिवत पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने से पहले वे छत्री परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने सिंधिया परिवार की छत्रियों पर आशीर्वाद लिया। इसके बाद वे काफिले के रूप में विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां स्थायी कर्मी संघ के अध्यक्ष यतेन्द्र शर्मा व अन्य कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान यतेंद्र शर्मा ने उन्हें पगड़ी पहनाकर गदा भेंट किया। इसके उपरांत प्रदीप शर्मा ने जीवाजी राव सिंधिया की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और कुलगुरु प्रो. राजकुमार आचार्य से उनके कार्यालय में शिष्टाचार भेंट की। आखिर में गालव सभागार में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए कुलगुरु प्रो. राजकुमार आचार्य ने कहा कि कार्यपरिषद और विश्वविद्यालय प्रशासन के समन्वय से सभी कार्य प्राथमिकता से किए जाएंगे। वहीं प्रदीप कुमार शर्मा ने कहा कि वे गेस्ट फैकल्टी के मानदेय को फिक्स तय कराने या 700 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये करने का मुद्दा उठाएंगे। साथ ही कर्मचारियों के नियमितीकरण और रिक्त पदों की पूर्ति के लिए भी प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर काम किया जाएगा। अपनी नियुक्ति पर उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और संगठन का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर कुलसचिव डॉ. राजीव मिश्रा, आरजीपीवी विवि की कार्यपरिषद सदस्य डॉ. संगीता कटारे, संगीत विवि के चंद्रप्रताप सिंह सिकरवार, पूर्व कार्यपरिषद सदस्य संजय यादव, डॉ. शिवेंद्र सिंह राठौड़, राजेश कटारे, मुख्तियार सिंह यादव, प्रो. जेएन गौतम, प्रो. हेमंत शर्मा सहित प्रोफेसर, अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

नाम परिवर्तन सूचना

आर्मी नं. 15712238एल, रैंक-हवलदार, **आशुतोष सिंह पुत्र रामगोपाल सिंह** निवासी लला का पुरा, तह. पोरसा, जिला मुरैना म.प्र. हाल निवासी-56 एपीओ, जोधपुर शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूं कि आर्मी रिकॉर्ड में मेरी पत्नी का नाम मंजू राजावत **(MANJU RAJABAT)** दर्ज है, जो गलत है, जबकि आधार कार्ड एवं स्कूल संबंधी रिकॉर्ड में मेरी पत्नी का नाम मंजू **(MANJU)** लिखा हुआ है, जो पूर्णत: सही है। यह कि मंजू (MANJU) और मंजू राजावत (MANJU RAJABAT) दोनों नाम एक ही महिला होकर मेरी पत्नी के नाम है। अतएव आर्मी रिकॉर्ड में मेरी पत्नी का नाम मंजू राजावत **(MANJU RAJABAT)** के स्थान पर मंजू **(MANJU)** दर्ज कर मान्य किया जावे।

सूचनाकर्ता - **आर्मी नं. 15712238एल,** रैंक-हवलदार, **आशुतोष सिंह पुत्र रामगोपाल सिंह निवासी**- लला का पुरा, तह. पोरसा, जिला मुरैना म.प्र. **हाल निवासी**-56 एपीओ, जोधपुर

15 से शुरू होंगे अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन

ग्वालियर-पवित्र अमरनाथ यात्रा के लिए इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। इस वर्ष यात्रा क लिए अग्रिम पंजीकरण 15 अप्रैल से शुरू होकर 20 मई तक जारी रहेंगे। जानकारी के अनुसार इस बार ग्वालियर से लगभग 30 हजार द्धालुओं के यात्रा में शामिल होने का अनुमान है। इसके लिए ग्वालियर में नया बाजार स्थित पंजाब नेशनल बैंक शाखा को पंजीकरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं देश भर के 554 बैंकों में यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यह खबर आते ही शिवभक्त ने अपने पंजीयन कराने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। असल में ग्वालियर से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हर साल हजारों श्रद्धालु जातेहैं। पंजीकरण प्रक्रिया आधार आधारित बायोमैट्रिक सिस्टम से होगी। साथ ही प्रत्येक यात्री को अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाना होगा। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के अनुसार यात्रा के लिए 9 अप्रैल के बाद जारी किए गए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। इस यात्रा के लिए आयु सीमा 13 वर्ष से 70 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। इसके लिए पंजीकरण शुल्क प्रति यात्री 150 रुपए रखा गया है। यात्रा के दौरान पहली पूजा 29 जून को संपन्न होगी। पंजीकरण के साथ ही यात्रियों को पहलगाम या बालटाल मार्ग के लिए यात्रा परमिट जारी किया जाएगा। साथ ही इसके लिए मेडिकल परीक्षण 10 अप्रेल से शुरू हो रहे हैं। बाबा बर्फानी समिति के अध्यक्ष श्याम लहारिया और कोषाध्यक्ष पन्नालाल गौड़ ने बताया कि यात्रा से पहले स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है।

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्र 15, वार्ड क्रं 43, भवन क्रं 1070,स्थान दौलतगंज ग्वा0 मे स्थित है जो कि माणिक चन्द/फूलचन्द के नाम से नगर निगम मे आई डी क्रं1000086299 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 1474 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र/ उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र गांधी मार्केट क्षे.क्र 15, पर दिनांक 02.03.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं 70/2010/48459/48438 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी/ को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता-
अमोलक चन्द जैन/माणिक चन्द जैन
पता-दौलतगंज ग्वा0 (म.प्र.)
विज्ञप्ति जारी दिनांक-10.04.2026

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्र 24, वार्ड क्रं 65,स्थान अजयपुर ग्वा0 मे स्थित है जो कि वंदना यादव/महेशचन्द्र यादव के नाम से नगर निगम मे आई डी क्रं 1000231970पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं R-28082501262890 दिनांक 28.08.2025 द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र अजयपुर, क्षे.क्र 24, पर दिनांक 10.04.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी/ को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता-
संगीता परिहार/लायक सिंह परिहार
पता-अजयपुर ग्वा0 (म.प्र.),मो0-9301652041
विज्ञप्ति जारी दिनांक-10.04.2026

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्र 19, वार्ड क्रं 44,स्थान 1093,नया 813 पुराना पाटनकर बाजार ग्वा0 मे स्थित है जो कि ओमप्रकाश बिंदल के नाम से नगर निगम मे आई डी क्रं 1002758666 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 200 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र /वसीयत दिनांक13.06.2008 द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र महाराज बाडा औषधालय, क्षे.क्र 19, पर दिनांक 10.04.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं 82/2011/25318/25407 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी/ को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता-
श्रीमती प्रीती अग्रवाल/स्व. श्री ओमप्रकाश अग्रवाल
पता-पाटनकर बाजार ग्वा0 (म.प्र.)
विज्ञप्ति जारी दिनांक-10.04.2026

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्र 17, वार्ड क्रं 38,स्थान नवग्रह कॉलोनी गोल पहाडिया लश्कर ग्वा0 मे स्थित है जो कि द्वारिकी बाई/बालकिशन के नाम से नगर निगम मे आई डी क्रं 1000205885 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 555 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड पंजीयन क्रं R-22032600492034 दिनांक 24.03.2026 दानपत्र द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र ढोली बुआ का पुल, क्षे.क्र 17, पर दिनांक 10.04.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं 71/2010/58787/58979 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी/ को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता-
कमल किशोर शर्मा/बालकृष्ण शर्मा
पता-नवग्रह कॉलोनी गोल पहाडिया ग्वा0(म.प्र.)
विज्ञप्ति जारी दिनांक-10.04.2026

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 19 वार्ड क्रं. 50, भवन क्रं. ..., स्थान: फ्लैट एस-201 झूलेलाल अपार्टमेन्ट पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती नमिता कंस्ट्रक्शन डायरेक्ट दिनेश अग्रवाल / स्व. श्री रामस्वरूप के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. 9000197378 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 350 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्रं... दिनांक ... के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र महाराज बाड़ा क्षे. क्रं. 19 पर दिनांक 10.04.2026 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य. क्रं. 82/2011/25317/25406/प्र.क्रं.*3/11 है उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियम अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
रेखा अग्रवाल / श्री सचिन अग्रवाल
पता: फ्लैट एस-201 झूलेलाल अपार्टमेन्ट, वार्ड-50
विज्ञप्ति जारी दिनांक: 10-04-2026

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 19 वार्ड क्रं. 44, भवन क्रं. 543, स्थान: भापकर की गोठ पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती सरिता शर्मा / श्री विजय शर्मा के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. 1000339372 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 322 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्रं. . . . दिनांक ... के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र महाराज बाड़ा क्षे.क्रं. 19 पर दिनांक 02.04.2026 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य. क्रं. 82/2011/25307/25396/प्र.क्रं. *3/11 है उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियम अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
अनीता शर्मा / श्री गोपाल शर्मा
पता: भापकर की गोठ, वार्ड-44
विज्ञप्ति जारी दिनांक: 10-04-2026

जिला चिकित्सालय में सम्मान, आउटसोर्स कर्मचारियों का अपमान : सिंह

नवभारत न्यूज
ग्वालियर, 10अप्रैल। राष्ट्रीय गुणवत्ता, एन क्यू ए एस/मुस्कान/लक्ष्य में प्रमाणन प्राप्ति पर सम्मान समारोह एवं भोज का आयोजन जिला चिकित्सालय मुरार के सभागार में किया गया। आयोजन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मुरार ग्वालियर ने किया। आयोजन का मुख्य आकर्षण यह था कि आउट सोर्स सफाई कर्मचारियों को ना भोज में आमंत्रित किया गया ना प्रशंसा पत्र दिए गए । आउटसोर्स कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कोमल सिंह ने इसका विरोध जताते हुए कहा है कि जो मेहनतकश आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों के साथ अन्याय हुआ है इससे सफाई कर्मचारियों ने कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। उन्होंने कहा कि इस सम्मान समारोह में अपने-अपने चहेते लोगों को पुरस्कृत किया गया जो संवैधानिक रूप से गलत है हम इसका पूर्णत: विरोध करते हैं।

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 21 वार्ड क्रमांक 52 स्थान गुढा में स्थित है जो कि वीरेन्द्र गौतम/जयराम आदि नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 9000212799 पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 625 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एमपी21/जीआर17402025ए100525040 दिनांक 26/06/2025 से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अन्तर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र ऑमखो दिनांक 09/04/2026 को किया गया है. जिसका आवेदन पत्र संख्या-26010100003991 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 205, 202 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 10-4-2026
त्रिवेणी धाकड़/हरिवल्लभ धाकड़
पता: गुढा, ग्वालियर(म.प्र.)
मोब-7879341811

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 03 वार्ड क्रमांक 07 स्थान प्लॉट नं ई-30, पाम वर्ल्ड सिटी, सागरताल रोड में स्थित है जो कि गुड अग्रो फार्मस प्रा.लि. रूचि चौबे नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 9000224785 पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 826 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आर-21032600485700 दिनांक 21/03/2026 से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अन्तर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 205, 202 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 10-4-2026
जयंत भल्ला/अरविन्द भल्ला
पता: पाम नं ई-30,पाम वर्ल्ड सिटी, सागरताल रोड, ग्वालियर(म.प्र.)
मोब-8435671101

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 21 वार्ड क्रमांक 54 स्थान जवाहर कॉलोनी में स्थित है जो कि रजनी/रतन सिंह नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 1000227515 पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 600 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एमपी142602024ए11311410 दिनांक 08/11/2024 से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अन्तर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र ऑमखो दिनांक 25/03/2026 को किया गया है. जिसका आवेदन पत्र संख्या-26010100001308 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 205, 202 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 10-4-2026
लीना खरे/विपिन खरे
पता: जवाहर कॉलोनी, ग्वालियर(म.प्र.)

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 02 वार्ड क्रमांक 06 स्थान मंगलेश्वर रोड पर स्थित है जो कि राजकुमार/सरमनलाल शर्मा नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 1000126439 पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 489 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 16542/6 दिनांक 23/12/2005 से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अन्तर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र नौमहला दिनांक 01/04/2026 को किया गया है. जिसका आवेदन कार्य क्रमांक 61/2010/58156/58365 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 205, 202 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 10-4-2026
संजेश शर्मा, भारत कुमार शर्मा/रामसिया शर्मा
पता: मंग्लेश्वर रोड , ग्वालियर(म.प्र.)
मोब- 7000209361

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 21 वार्ड क्रमांक 52 स्थान प्रीतम कॉलोनी में स्थित है जो कि रामनिवास प्रजापति/मोतीराम प्रजापति नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 9000186012 पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 640 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एमपी142602023ए12683553 दिनांक 22/12/2023 से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अन्तर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र ऑमखो दिनांक 09/04/2026 को किया गया है. जिसका आवेदन आवेदन पत्र संख्या-26010100003996 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 205, 202 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 10-4-2026
प्रभा श्रीवास्तव/अनिल श्रीवास्तव, साक्षी सक्सेना/मंयक श्रीवास्तव
पता: प्रीतम कॉलोनी , ग्वालियर(म.प्र.)
मोब- 8984789227

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक21 वार्ड क्रमांक 52 स्थान गुडा में स्थित है जो कि वीरेन्द्र गोतम/जयराम आदि नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 9000212796 पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 625 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एमपी21/जीआर17402025ए100524340 दिनांक 25/06/2025 से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अन्तर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र ऑमखो दिनांक 09/04/2026 को किया गया है. जिसका आवेदन आवेदन पत्र संख्या-26010100003992 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 205, 202 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 10-4-2026
गिरजा धाकड़/महेन्द्र धाकड़
पता: गुडा, ग्वालियर(म.प्र.)
मोब- 7829341811